



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में पुलिस पार्टी पर फायर करने की घटना कारित करने के आरोपियों इदरीश व शिबू उर्फ कुलदीप को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष का कारावास व 40,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों इदरीश पुत्र यामीन निवासी ग्राम मेवला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत व शिबू उर्फ कुलदीप पुत्र सेंसरपाल निवासी ग्राम लुहारा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 328/2016 धारा 307/34 भादवि, मु0अ0सं0 330/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 329/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.11.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों इदरीश व शिबू उर्फ कुलदीप को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 05 वर्ष के कारावास व 40,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बड़ौत

दिनांक 05.11.25

थाना बड़ौत पुलिस ने 01 जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर 01 जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता-

1. दिलशाद पुत्र वकिल नि० गुराना रोड गली न० 08 कस्बा व थाना बड़ौत बागपत

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 707/25 धारा 03/10 उ०प्र० गुंडा नियन्त्रण अधि० चालानी थाना बड़ौत

2. मु०अ०सं० 565/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बड़ौत

3. मु०अ०सं० 761/22 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बड़ौत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-म०उ०नि० नीतू सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

2-का० 377 धर्मेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।





**प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी**

दिनांक 05.11.25

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 45 पच्चे देशी अवैध शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 45 पच्चे देशी अवैध शराब बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 146/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भूरा पुत्र राज सिंह उर्फ राजू निवासी ग्राम मवीकला थाना बालैनी बागपत उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 45 पच्चे देशी अवैध शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रमेश चन्द थाना बालैनी, बागपत ।
- 2-है0का0 341 वीरेन्द्र भाटी थाना बालैनी, बागपत ।
- 3- है0का0 219 अरुण कुमार थाना बालैनी, बागपत